FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प रावर

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
गुलाब कंवर		राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या—151 / 2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
17.11.2021	प्रार्थी गुलाब कंवर पत्नी अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी रावर तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प रावर में धारा—88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 10 रकबा 2.5322 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 रकबा 1.4158 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 126 रकबा 2.3218 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 637 रकबा 7.3134 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 13.5832 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि पूर्व में मेरे पति अर्जुनसिंह पुत्र खोले पाबूदानसिह जाति राजपूत की थी। मेरे पति अर्जुनसिंह का देहान्त 50 वर्ष पूर्व में हो गया। मेरे पति अजुर्नसिंह के दहान्त का फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 84 स्वीकृत किया गया तब फौतदगी नामान्तकरण में मेरा नाम गुलाब कंवर पत्नी अर्जुनसिंह के बजाय पन्ने कंवर पत्नी अर्जुनसिंह लिख दिया गया जो एक राजस्व कर्मचारी की त्रुटि है। तब उसके बाद मेरे दो पुत्र ओमसिंह, हरीसिंह पिसरान अर्जुनसिंह का नाबालिग से बालिग का नामान्तकरण संख्या 1239 स्वीकृत किया गया। तब नामान्तकरण संख्या 1239 में मेरा नाम गुलाब कंवर पत्नी अर्जुनसिंह के [illegible] पन्नेकंवर पत्नी हरीसिंह दर्ज कर दिया गया जो एक रा[illegible]री की त्रुटि है। वादी ने अपनी भूमि मे दर्ज नाम पन्ने कंवर [illegible] हरीसिंह के स्थान पर गुलाब कंवर पत्नी अर्जुनसिंह दर्ज [illegible] प्रशासन गांवों के संग शिविर अभियान कैम्प रावर सन् 2021 [illegible] जाकर तहसीलदार बिलाड़ा से सम्पर्क किया, एवं अपने दस्तावेज आधारकार्ड, बैंक डायरी, जमाबंदी आदि तहसीलदार बिलाड़ा को बताया और निवेदन	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:01:05 IST
Reason: SelfAttested

किया कि रेकर्ड की शुद्धि की जावे। जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा ने राजस्व रेकर्ड दस्तावेजात देखकर वादी को बताया कि आपके सरकारी दस्तावेज में आपका नाम गुलाब कंवर पत्नी अर्जुनसिंह लिखा हुआ है और आपका नाम जमाबंदी में पन्ने कंवर पत्नी हरीसिंह दर्ज किया हुआ है इस कारण रेकर्ड शुद्धि नहीं की जा सकती है आप राजस्व रेकर्ड में आपका नाम गुलाब कंवर व आपके पति का नाम अर्जुनसिंह शुद्धि करवा कर लावें तब ही आपका नाम रेकर्ड में शुद्धि किया जायेगा। अन्त में निवेदन किया कि खातेदारी भूमि में पन्ने कंवर पत्नी हरीसिंह के स्थान पर गुलाब कंवर पत्नी अर्जुनसिंह की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी गुलाब कंवर ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी गुलाब कंवर का आधारकार्ड, बैंक डायरी, जन आधार कार्ड, राशनकार्ड ग्राम रावर की जमाबंदी

संवत् 2074 से 2077, खसरा नम्बर 10, 122, 126, 637 (पन्नेकंवर पत्नी हरीसिंह) आदि पेश किये है। ग्राम पंचायत रावर द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया गया है। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी के समर्थन में वादी के पुत्र हरीसिंह तथा ओमसिह के बयान कलमबद्ध किये गये। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरी उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में मेरा नाम गुलाब कंवर पत्नी अर्जुनसिंह स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। इस कारण दावा को पेश करना पड़ रहा है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी ने साक्ष्य सबूत के तौर पर नामान्तकरण आदि को पेश नहीं किया है इस कारण वादी का दावा खारिज किया जाता है वादी नया दावा पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेगी पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम रावर में खुले में सुनाया गया।

अधिकारी

ड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:01:05 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प रावर

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
गुलाब कंवर पत्नी अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 151/2021

निर्णय **दिनांक** :– 17.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या–1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी क दावा साक्ष्य सबूतों के अभाव में खारिज किया जाता है। वादी नया दावा पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेगी। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:01:05 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.11.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:01:05 IST
Reason: SelfAttested